

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 सितम्बर 2017—आश्विन 6, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र. डी-15-11-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-29-2014-चौदह-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति सनावद के खसरा नम्बर 143/4 रक्का 3.42 एकड़ को वातिल (डी-नोटीफाई) किया गया है।

चूंकि, उक्त प्रांगण का उपयोग कृषि उपज मण्डी समिति सनावद जिला खरगोन की भविष्य की गतिविधियों के लिये किया जाना है, अतः विभाग की उक्त वातिल (डी-नोटीफाई) अधिसूचना क्रमांक-डी-15-29-2014-चौदह-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 को निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र. डी-15-11-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2017

No. D-15-11-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (D) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government vide its Notification No. D-15-29-2014-XIV-3, dated 29th October 2014 had de-notifying Khasra number-143/4, area of 3.42 acre, of the market yard of Krishi Upaj Mandi Committee Sanawad, District Khargone.

Now, as the said de-notified area of the Market yard is required for future activities of Krishi Upaj Mandi Committee Sanawad, District Khargone, department's said notification i. e. No. D-15-29-2014-XIV-3, dated 29th October 2014 for de-notification, is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.